



प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2026

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0301-25 "उपकरणों का प्रतिस्थापन (जनपद योजना)" के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की प्रस्तावित कार्ययोजना एवं उससे आच्छादित परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1759/03-54/जनपद योजना/2026-27/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 06.07.2026 एवं पत्रांक-2188/03-54/जनपद योजना/2026-27/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 18.08.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.08.2014, 21.11.2017 एवं 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0301-25 "उपकरणों का प्रतिस्थापन (जनपद योजना)" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹० 10000.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित विभिन्न जनपदों की परियोजनाओं हेतु तालिका के कॉलम-8 में अंकित धनराशि के अनुसार जनपद योजना हेतु कुल धनराशि ₹० 8000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि ₹० 8000.00 लाख (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) अधोलिखित शर्तों के अधीन निर्गत कर अवमुक्त/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	प्रदेश में दिनांक 01-04-2026 को जनपदवार / खण्डवार / ब्लॉकवार कुल चलित नलकूपों का विवरण						कार्य योजना की धनराशि (जी. एस. टी. व लेबर सेस सहित) (लाख ₹० में)
	जनपद का नाम	जनपद में चलित नलकूपों की संख्या	खण्ड का नाम	1.5 ब्लॉक	1.0 ब्लॉक	खण्ड में चलित नलकूपों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेरठ	393	नलकूप खण्ड पूर्व मेरठ	198	88	286	65.30
			नलकूप खण्ड पश्चिम बागपत	75	32	107	25.92
2	बागपत	284	नलकूप खण्ड पश्चिम बागपत	147	137	284	65.24
3	बुलन्दशहर	536	नलकूप खण्ड उत्तर बुलन्दशहर	368	168	536	117.43
4	गौतमबुद्धनगर	75	नलकूप खण्ड गाजियाबाद	56	19	75	17.98
5	गाजियाबाद	93	नलकूप खण्ड गाजियाबाद	54	39	93	22.77
6	हापुड़	158	नलकूप खण्ड गाजियाबाद	103	55	158	35.95
7	सहारनपुर	580	नलकूप खण्ड सहारनपुर	365	84	449	102.28
			नलकूप खण्ड शामली	108	23	131	29.05
8	मुजफ्फरनगर	411	नलकूप खण्ड मुजफ्फरनगर	271	140	411	93.10
9	शामली	97	नलकूप खण्ड शामली	78	19	97	25.40
10	आगरा	333	नलकूप खण्ड आगरा	238	95	333	68.99
11	फिरोजाबाद	383	नलकूप खण्ड फिरोजाबाद	180	203	383	88.86
12	मथुरा	1	नलकूप खण्ड आगरा	1	0	1	0.00
13	मैनपुरी	616	नलकूप खण्ड मैनपुरी	227	389	616	120.34
14	हाथरस	198	नलकूप खण्ड -1 अलीगढ़	101	97	198	41.78
15	अलीगढ़	663	नलकूप खण्ड -1 अलीगढ़	212	97	309	74.07
			नलकूप खण्ड -2 अलीगढ़	252	102	354	82.42
16	एटा	373	नलकूप खण्ड एटा	244	129	373	84.97
17	कासगंज	444	नलकूप खण्ड कासगंज	256	188	444	98.23
18	मुरादाबाद	580	नलकूप खण्ड मुरादाबाद	300	157	457	101.58
			नलकूप खण्ड चन्दौसी	95	28	123	30.00
19	सम्भल	618	नलकूप खण्ड चन्दौसी	370	168	538	111.17
			नलकूप खण्ड मुरादाबाद	68	12	80	19.20
20	अमरोहा	314	नलकूप खण्ड अमरोहा	213	101	314	69.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

21	बिजनौर	751	नलकूप खण्ड अमरोहा	159	14	173	41.61
			नलकूप खण्ड बिजनौर	399	179	578	119.44
22	रामपुर	450	नलकूप खण्ड रामपुर	287	163	450	98.57
23	बरेली	850	नलकूप खण्ड -1 बरेली	407	175	582	111.45
			नलकूप खण्ड -2 बरेली	197	71	268	60.72
24	पीलीभीत	234	नलकूप खण्ड -2 बरेली	114	120	234	57.72
25	बदायूँ	1222	नलकूप खण्ड -1 बदायूँ	249	157	406	86.77
			नलकूप खण्ड -2 बदायूँ	380	34	414	100.07
			नलकूप खण्ड -3 बदायूँ	269	133	402	90.30
26	शाहजहाँपुर	630	नलकूप खण्ड शाहजहाँपुर	389	241	630	130.33
27	लखनऊ	412	नलकूप खण्ड लखनऊ	269	143	412	91.90
28	उन्नाव	238	नलकूप खण्ड उन्नाव	134	104	238	62.48
29	हरदोई	739	नलकूप खण्ड हरदोई	479	260	739	139.63
30	रायबरेली	413	नलकूप खण्ड रायबरेली	265	148	413	102.43
31	सीतापुर	828	नलकूप खण्ड -1 सीतापुर	412	108	520	109.19
			नलकूप खण्ड -2 सीतापुर	234	74	308	69.85
32	लखीमपुर	827	नलकूप खण्ड -2 सीतापुर	146	48	194	55.01
			नलकूप खण्ड -1 लखीमपुर	514	119	633	131.92
33	कानपुर नगर	348	नलकूप खण्ड, प्रथम कानपुर	211	137	348	82.94
34	कानपुर देहात	487	नलकूप खण्ड, कानपुर देहात	243	244	487	96.20
35	जालौन	726	नलकूप खण्ड -1 उरई	263	125	388	92.73
			नलकूप खण्ड -2 उरई	186	152	338	81.76
36	झाँसी	172	नलकूप खण्ड -2 उरई	73	99	172	35.97
37	ललितपुर	1	नलकूप खण्ड -2 उरई	1	0	1	0.00
38	बाँदा	667	नलकूप खण्ड बाँदा	385	282	667	132.58
39	चित्रकूट	20	नलकूप खण्ड बाँदा	4	16	20	10.78
40	हमीरपुर	560	नलकूप खण्ड, हमीरपुर	380	180	560	135.41
41	महोबा	0	नलकूप खण्ड, हमीरपुर	0	0	0	0.00
42	इटवा	491	नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा	189	302	491	105.72
43	औरिया	403	नलकूप खण्ड औरिया	228	175	403	93.85
44	कन्नौज	306	नलकूप खण्ड कन्नौज	149	157	306	64.83
45	फर्रुखाबाद	346	नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद	216	130	346	69.94
46	अयोध्या	777	नलकूप खण्ड अयोध्या	415	245	660	142.78
			नलकूप खण्ड बाराबंकी	84	33	117	26.53
47	अम्बेडकरनगर	548	नलकूप खण्ड अम्बेडकरनगर	388	160	548	118.47
48	सुल्तानपुर	523	नलकूप खण्ड सुल्तानपुर	373	150	523	119.22
49	अमेठी	378	नलकूप खण्ड अमेठी	259	119	378	89.57
50	बाराबंकी	370	नलकूप खण्ड बाराबंकी	190	180	370	86.97
51	गोण्डा	651	नलकूप खण्ड गोण्डा	397	254	651	137.28
52	बलरामपुर	419	नलकूप खण्ड बलरामपुर	243	176	419	86.32
53	बहराइच	643	नलकूप खण्ड बहराइच	284	122	406	82.51
			नलकूप खण्ड नानपारा	160	77	237	54.90
54	श्रावस्ती	230	नलकूप खण्ड बहराइच	74	57	131	29.88
			नलकूप खण्ड नानपारा	47	52	99	24.29
55	गोरखपुर	1239	नलकूप खण्ड-1 गोरखपुर	343	128	471	104.44
			नलकूप खण्ड-2 गोरखपुर	443	144	587	128.54
			नलकूप खण्ड महाराजगंज	146	35	181	40.22
56	देवरिया	1046	नलकूप अनु खण्ड देवरिया	318	120	438	93.23
			नलकूप खण्ड सलेमपुर	474	134	608	134.44
57	कुशीनगर	288	नलकूप अनु खण्ड देवरिया	120	168	288	67.43
58	महाराजगंज	366	नलकूप खण्ड महाराजगंज	213	153	366	79.71
59	बस्ती	668	नलकूप खण्ड बस्ती	469	199	668	140.32
60	संतकबीरनगर	541	नलकूप खण्ड संतकबीरनगर	343	198	541	122.88
61	सिद्धार्थनगर	471	नलकूप खण्ड सिद्धार्थनगर	290	181	471	103.15
62	वाराणसी	831	नलकूप खण्ड-1 वाराणसी	419	146	565	117.73
			नलकूप खण्ड चन्दौली	191	75	266	57.32
63	चन्दौली	360	नलकूप खण्ड चन्दौली	168	192	360	81.03
64	जौनपुर	584	नलकूप खण्ड जौनपुर	392	192	584	123.61
65	गाजीपुर	861	नलकूप खण्ड-1 गाजीपुर	344	116	460	95.47
			नलकूप खण्ड-2 गाजीपुर	281	120	401	90.13
66	मिर्जापुर	517	नलकूप खण्ड मिर्जापुर	349	168	517	109.95
67	भदोही (सं0 रवि0 न0)	528	नलकूप अनु खण्ड भदोही (संत रविदास नगर)	420	108	528	116.73
68	प्रयागराज	1138	नलकूप खण्ड-1 प्रयागराज	36	17	53	15.87
			नलकूप खण्ड-2 प्रयागराज	383	168	551	123.11
			नलकूप खण्ड-3 प्रयागराज	369	165	534	120.16
69	कौशाम्बी	405	नलकूप खण्ड-1 प्रयागराज	255	150	405	99.85
70	फतेहपुर	595	नलकूप खण्ड फतेहपुर	455	140	595	158.48
71	प्रतापगढ़	156	नलकूप खण्ड-2 प्रयागराज	76	80	156	35.31

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

72	आजमगढ़	622	नलकूप खण्ड आजमगढ़	378	244	622	126.50
73	मऊ	402	नलकूप खण्ड मऊ	265	137	402	79.27
74	बलिया	914	नलकूप खण्ड मऊ	172	56	228	49.34
			नलकूप खण्ड-2 बलिया	472	214	686	133.27
कुल योग		36342		23909	12433	36342	8000.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा आप यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभागाध्यक्ष का होगा।
- (4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।
- (7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय किया जाय तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाय।
- (8) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (10) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (11) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (14) प्रश्नगत परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के पूर्व, कराये गये कार्यों के दौरान तथा कार्यों की समाप्ति के उपरान्त जियोटैगिंग कराते हुए फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी अवश्य कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,00,000 (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020301 पम्प सेटो/ गूलो का निर्माण/ जीर्णोद्धार मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या- 93/2026/1550(1)/2026-001-27-10099/1228/2021-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
- (6) संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०, द्वारा-प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) समस्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, द्वारा- प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी०एम० आई०एस० पोर्टल।
- (10) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० शासन।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई अनु०-9/नियोजन अनु०-3
- (12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (13) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।